# न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

**अपील संख्या:–** 112/2007 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. भोला पुत्र लालाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महासुख का पुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
   1/1. मु0 अनार देवी विधवा भोलाराम
   1/2. रामलक्ष्मण
   1/3. जगदीश
   1/4. कैलाशी
   1/5. गिरीश
   1/6. शिवराम
   1/7. वीरेन्द्र
   } पुत्रगण भोला जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महासुख का पुरा तहसील बसेडी।
   1/8. श्रीमती मंजू पत्नी ओमप्रकाश पुत्री भोला जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कासिमपुर तह0 खैरागढ जिला आगरा।
   1/9. श्रीमती गुड्डी पत्नी प्रकाशचन्द पुत्री भोला जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कासिमपुर तह0 खैरागढ जिला आगरा।

.........................अपीलांट।

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र घूरे जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महासुख का पुरा तहसील बसेडी।
   1/1. कृष्ण
   1/2. रामनिवास
   } पुत्रगण रघुनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महासुख का पुरा तहसील बसेडी।
2. गोपाल
3. मोहन
   } पुत्रगण घूरे जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महासुख का पुरा तहसील बसेडी।
4. निर्मला विधवा गनपति
5. सतीश
6. राजू
7. मनीष
   } (5–7) पुत्रगण गनपति } (4–7) जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महासुख का पुरा तहसील बसेडी।
8. हेमा पुत्री गनपति पत्नि लडू जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम ऑगई हाल आबाद मास्टर कालौनी बाडी।
9. रामरती वेवा रामभरोसी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महासुख का पुरा तहसील बसेडी।
10. मंजू पुत्री रामभरोसी पत्नि रामकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पिपरैन तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
11. गुन्ता पुत्री रामभरोसी पत्नि कृष्ण कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पिपरैन तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
12. महावीर पुत्र रामभरोसी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महासुख का पुरा तहसील बसेडी।
13. जीतेन्द्र
14. पिन्टू
    } पुत्रगण रामभरोसी जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम महासुख का पुरा तहसील बसेडी।
15. लाली पुत्री रामभरोसी पत्नि नामालूम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम ऑगई।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी वहैसियत भू स्वामी।

..............................रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी बसेडी दि0 20.04.2007 प्र.सं. 11/99 उनवानी भोला बनाम चन्दन।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः—

1. श्री जानकीप्रसाद शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री सुरेश श्रीवास्तव वकील रैस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक—23.02.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2007 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी ने एक दावा बाबत् घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, दुरूस्ती इन्द्राज व बॅटवारा काश्त विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम महासुख का पुरा तहसील बसेडी में अपीलाण्ट/वादी हिस्सा 1/3, चिरोंजी हिस्सा 1/3, घूरे हिस्सा 1/3 के संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार अपने पिता की जमींदारी की आराजी व नोतोड आराजी से थे। चूंकि चिरौजी लाबिला औलाद फौत हो चुका है, जिसका हिस्सा अपीलाण्ट/वादी पर प्रकान्त हुआ। इसलिए अपीलाण्ट/वादी विवादित आराजी में हिस्सा 2/3 व घूरे हिस्सा 1/3 के संयुक्त खातेदार काश्तकार व काबिज हैं। विवादित आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। घूरे परिवार का मुखिया था। बन्दोबस्त के दौरान रैस्पो0/प्रतिवादीगण के पिता घूरे ने अपीलाण्ट/वादी का नाम रास्त कर्मचारियों से साज करके हटवा दिया तथा अकेले अपने नाम खाता कायम करा लिया। उक्त गलत प्रविष्टियों के आधार पर रैस्पो0/प्रतिवादीगण विवादित आराजी को मुन्तकिल करने व अपीलाण्ट/वादी को बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः वाद दायर कर विवादित आराजी में अपीलाण्ट/वादी को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, राजस्व रिकार्ड में तद्नुसार संशोधित किया जावें एवं विवादित आराजी का बॅटवारा किया जाकर अपीलाण्ट/वादी के 2/3 हिस्से का अलग से खाता कायम कर, रैस्पो0/प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने सर्वप्रथम आदेश दिनांक 12.12.2013 बाबत् प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के विरूद्ध आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 05.03.2014 पर बहस करते हुए तर्क दिये कि अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुती के समय, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई थी। जबकि नियमानुसार निर्णय की प्रमाणित प्रति अपील प्रस्तुती के समय ही की जानी चाहिए। अतः अपील इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। मैरिट पर उनका तर्क है कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है। विवादित आराजी घूरे की एकान्तिक खुद काश्त की आराजी थी जो तत्कालीन जमींदारान से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 व 19 के तहत प्राप्त हुयी है। बन्दोबस्त से पूर्व ही संवत 2018 में घूर के नाम खाता कायम हो चुका था। चिरौंजी का कोई हिस्सा विवादित आराजी में नही था एवं ना ही भोला का है। विवादित आराजी घूरे की निजी सम्पत्ति थी अतः बॅटवारे का तो प्रश्न नहीं बनता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण तथ्यों के आधार पर तनकियात कायम की जाकर, प्रत्येक तनकी का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से विवेचना की जाकर, विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

Web Copy Not Official

4. अभिभाषक अपीलाण्ट ने जबावी बहस में तर्क दिये कि आदेश दिनांक 12.12.2013 उभयपक्ष को सुना जाकर पारित किया गया है। अतः अब आपत्ति ग्राह्य नहीं है। आपत्ति खारिज की जावें। मैरिट पर उनका तर्क है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 व 02 जो कि स्वतंत्र तनकी हैं, का निर्णय पृथक–पृथक करना चाहिये था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों तनकियों को एक साथ निस्तारित किया गया है। तनकी संख्या 01 अपीलाण्ट व उसकी साक्ष्य से एवं रैस्पो0 की साक्ष्य से सिद्ध हैं कि घूरे व चिरौंजी में से पहले घूरे मरा बाद में चिरौंजी मरा। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी पर अपना कब्जा भली भॉत साबित किया गया है एवं अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी अपीलाधीन आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2007 को खारिज किया जावें एवं अपीलाण्ट/वादीगण के दावे को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। यह सही है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रति, अपील के साथ ही प्रस्तुत होनी चाहिए। परन्तु न्यायहित में न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.2013 से प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 सीपीसी अन्तर्गत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को रिकार्ड पर लिया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में दिनांक 05.03.2014 को रैस्पो0 द्वारा उठाई आपत्ति मान्य नहीं है। दिनांक 12.12.2013 के विरूद्ध रैस्पो0 रिवीजन करने को स्वतंत्र था। परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अतः दिनांक 05.03.2014 की आपत्ति संधारणीय नहीं है।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु दादरसी सहित 8 तनकियॉ कायम की गयी है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार हैः–

7. तनकी संख्या 1 व 2 **आया घूरे व चिरौंजी की मृत्यु क्रमशः 24 वर्ष व 20 वर्ष पूर्व हुयी थी एवं वादी चिरौंजी का उत्तराधिकारी है।** दोनों तनकियों को सिद्ध करने का भार अपीलाण्ट/वादी पर था। परन्तु अपीलाण्ट/वादी द्वारा उक्त दोनों तनकियों को साबित करने बाबत् यथा मृत्यु प्रमाण–पत्र अथवा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही तनकी संख्या 01 खिलाफ वादी व तनकी संख्या 02 आंशिक खिलाफ वादी एवं प्रतिवादीगण इस आधार पर तय की हैं कि दोनों ही चिरौंजी के उत्तराधिकारी हैं।

8. तनकी संख्या 3, **आया वाद वर्णित आराजी घूरे की खुदकाश्त की निजी आराजी है, वाद वर्णित आराजी में चिरौंजी का कोई हिस्सा नहीं है।** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2010 लगायत 2013 व खसरा में विवादित आराजी चिरौंजी के नाम खुद काश्त में ना रहकर, घूरे की खुद काश्त की भूमि होना अंकित है एवं संवत 2012 में भी कोई भी प्रविष्टि चिरौंजी व भोला के नाम खुद काश्त की दर्शित नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 01 लगायत 20 व प्रदर्श डी 1 लगायत डी 15 के अवलोकन से कतई साबित नहीं है कि विवादित आराजी चिरौंजी या भोला की खुद काश्त की भूमि रही हो। मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलाण्ट/वादी को विवादित आराजी में अधिकार सृजित नहीं हो सकते। अतः तनकी विरूद्ध अपीलाण्ट/वादी तय की जाती है।

9. तनकी संख्या 4, **आया वादी वाद वर्णित आराजी के 2/3 हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है।** तनकी संख्या 03 की विवेचना अनुसार अपीलाण्ट/वादी विवादित आराजी में अपना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्वत्व, साक्ष्य से प्रमाणित करने में असफल तो रहे ही हैं। परन्तु उनके द्वारा विवादित आराजी के कब्जे बाबत् भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी, काश्त की टीपन आदि प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं माना जा सकता है। तनकी विरूद्ध अपीलाण्ट/वादी तय की जाती है।

10. तनकी संख्या 5, **आया प्रतिवादीगण ने वादी को वाद वर्णित आराजी से बेदखल करने की धमकी दी।** तनकी संख्या 03 व 04 की विवेचना के आधार पर निष्प्रभावी है।

11. तनकी संख्या 06, **आया लालाराम के जीवनकाल में घूरे, चिरौंजी व भोला अलग–अलग रहने लगे थे।** नकल खसरा गिरदावरी संवत 2010 लगायत 13, जमाबन्दी संवत 2018–21 में चिरौंजी, भोला व घूरे की काश्त अलग–अलग दर्ज होना जाहिर करता है कि घूरे, चिरौंजी व भोला अलग–अलग रहते थे। तर्क के लिए शामिल रहना माना भी जावें, तो सम्पूर्ण आराजी पर खुद काश्त तीनों की दर्ज होती। परन्तु ऐसा नहीं है। अतः तनकी विरूद्ध अपीलाण्ट/वादी तय की जाती है।

12. तनकी संख्या 07, **आया बन्दोबस्त विभाग ने वादी का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया।** अपीलाण्ट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि बन्दोबस्त से पूर्व विवादित आराजी भोला व चिरौंजी के नाम रही हो। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही तनकी विरूद्ध अपीलाण्ट/वादी तय की है।

13. दादरसी :– सभी तनकियों का निस्तारण किया जा चुका है। तनकी संख्या 02 आंशिक वहक अपीलाण्ट/वादी को छोडकर शेष तनकियॉ विरूद्ध अपीलाण्ट/वादी पाई गयी हैं। अपीलाण्ट/वादी अपने जिम्में की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। अतः अपीलाण्ट के पक्ष में किसी प्रकार का मामला नही बनता है। हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नही पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से उपलब्ध साक्ष्य की पूर्ण विवेचना करते हुए, तनकीवार सुस्पष्ट निर्णय पारित किया है, जो तर्कसंगत है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

14. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2007 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

15. निर्णय आज दिनांक 23.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official